email_id : dcourtkhd@mp.nic.in
Phone No. : 0733-2240001

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म0प्र0)

—:: आदेश ::—

कमांकः 118 /को.वा./2020 खंडवा, दिनांक 14 अप्रैल, 2020

विषय :— दिनांक 26 मार्च से प्रारंभ हुए न्यायालयीन **अकार्य दिवस** में दिनांक 03 मई, 2020 तक वृद्धि बाबत्।

संदर्भ :— माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का आदेश कमांक—क्यू 5 जबलपुर, दिनांक 25.03.2020 की निरंतरता में जारी परिपत्र कमांक क्यू—6 जबलपुर, दिनांक 14 अप्रैल, 2020।

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर से जारी परिपत्र कमांक क्यू—5 जबलपुर दिनांक 25.03.2020 के अनुसार दिनांक 14.04.2020 तक अधीनस्थ न्यायालयों में **"अकार्य दिवस"** घोषित किया गया था, जिसे संदर्भित परिपत्र दिनांक 14 अप्रैल, 2020 के अनुसार दिनांक 03 मई, 2020 तक निरंतर प्रभावशील रखा गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश से खंडवा और उसकी तहसील हरसूद/पुनासा में कार्यरत् न्यायालयों को अवगत कराते हुए आदेशित किया जाता है कि :—

1— सभी न्यायाधीशगण और सभी कर्मचारीगण इन **अकार्य दिवस** में कमशः जिला एवं सत्र न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपने—अपने वरिष्ठ अधिकारी के संपर्क में सतत् बने रहेंगे, मुख्यालय नहीं छोड़ेंगें, अपने—अपने मोबाईल चालू रखेंगे, किसी भी प्रकार की आवश्यकता की दशा में सुसंगत आदेश का पालन उनके द्वारा किया जावेगा।

2— दिनांक 03.05.2020 तक पूर्व से नियत किसी भी प्रकरण में नियत दिनांक को सुनवाई नहीं होगी, न्यायालय में पूर्णतया अकार्य दिवस रहेगा। किसी भी पक्षकार/उनके अभिभाषकगण को नियत पेशी तारीख पर उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालयीन कार्य प्रारंभ होते ही संबंधित पक्षकारगण/अभिभाषकगण को सुनवाई हेतु नियत की जाने वाली आगामी पेशी की सूचना पक्षकारगण/अभिभाषकगण के द्वारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. /न्यायालयीन सूचना पटल पर सूची के द्वारा दी जावेगी।

3— दिनांक 03.05.2020 तक न्यायालय परिसर में उन्हीं न्यायिक अधिकारी, कर्मचारीगण के द्वारा प्रवेश किया जा सकेगा, जिन्हें कि अनिवार्य और अत्यावश्यक कर्तव्य निष्पादन हेतु अधिकृत/आदेशित किया जावेगा/किया गया है। इसी प्रकार मात्र वे ही पक्षकार या उनके अभिभाषकगण निर्धारित समयावधि के दौरान न्यायालय परिसर में अत्यावश्यक व तात्कालिक कार्य हेतु न्यायिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकेंगे; जिनका कि तात्कालिक व अत्यावश्यक सुनवाई योग्य मामले से संबंध है। अन्य सभी अभिभाषकगण/ उनके अधीनस्थ कार्यरत् उनके लिपिक/पक्षकारगण को दिनांक 03.05.2020 तक के लिए बिना पूर्व अनुमति न्यायालय परिसर में प्रवेश की इजाजत नहीं रहेगी।

4— तात्कालिक एवं अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्य हेतु संबंधित पक्षकारगण और उनके द्वारा नियुक्त अभिभाषकगण द्वारा अनिवार्य आवश्यकता की दशा में जिला न्यायालय खंडवा में कार्यरत् प्रशासनिक अधिकारी श्री हरीश कुमार उत्तानी के मोबाईल नम्बर 8109232299, ईमेल आई.डी dcourtkhd-mp@nic.in तथा लेखापाल श्री अशोक अरझरे के मोबाईल नम्बर 8989519807, ईमेल आई.डी. ashokarzare 1072@gmail.com पर संदेश/याचिका—आवेदन प्रेषित/दर्ज किया जा सकेगा। ऐसे

Scanned by CamScanner

कार्य के निष्पादन हेतु इन दोनों ही न्यायालयीन प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल के द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश से संपर्क कर सुसंगत आदेश/निर्देश प्राप्त किये जा सकेंगे।

5– 'कोरोना वायरस' महामारी के चलते केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये/किये जाने वाले परिपत्र/दिशा–निर्देश का पालन सभी न्यायिक अधिकारीगण/उनके अधीनस्थ कार्यरत् कर्मचारीगण/स्थापना पर पदस्थ सभी कार्यरत् कर्मचारीगण करेंगे।

6– उपरोक्त वर्णित परिपत्र, दिशा–निर्देश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश खंडवा के द्वारा जारी परिपत्र/आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन अथवा उसकी उपेक्षा की दशा में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी गंभीर कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

संलग्न :–संदर्भित परिपत्र दिनांक 14.04.2020।

14-04-2020

(एल.डी. बौरासी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा

पृष्ठां.क0 9-27/को.वा./2020 खंडवा, दिनांक 14 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि :–

1– विशेष न्यायाधीश/परिवार न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/षष्ठम् सिविल जज वर्ग–1 खण्डवा/हरसूद/पुनासा, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग–2, खण्डवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण।

2– अभिभाषक संघ, खण्डवा/हरसूद/पुनासा

3– जिला न्यायालय खण्डवा के समस्त कर्मचारीगण

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा

Scanned by CamScanner

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. Q-6 Jabalpur, dated 14th April, 2020

Sub.: Extension of operation of Circular No.Q-5 dated 25/03/2020 due to extension of Nationwide lockdown announced on 14/04/2020.

Ref.: Order No.Q-5 dated 25/03/2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur (copy enclosed herewith).

In view of the public announcement made by the Hon'ble Prime Minister of the country on 24/03/2020 imposing a complete lock-down throughout the country, Hon'ble the Chief Justice was pleased to issue a Circular No.Q-5 Jabalpur dated 25/03/2020 pertaining to the working of Hon'ble High Court as well as Subordinate Courts in the State, which was communicated to all concerned.

Now as per the announcement made by Hon'ble the Prime Minister on 14/04/2020, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to direct that the operation of previous Circular No.Q-5 dated 25/03/2020 shall be extended till 03/05/2020 for High Court Bench at Indore and all the Subordinate Courts including Family Courts in the State of M.P., however, the operation of previous Circular No.Q-5 dated 25/03/2020 shall be extended till 20/04/2020 for High Court Principal Seat Jabalpur and its Bench at Gwalior.

BY ORDER OF
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE

14/4/2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

Encl.:
Circular No.Q-5 dated 25/03/2020

Scanned by CamScanner